

लोक शिक्षण संचालनालय
ब्लाक-सी प्रथम तल इन्द्रावती भवन
नया रायपुर छत्तीसगढ़

ई-मेल schoolscholarship717@gmail.com दूरभाष 0771- 2511192, 2511188

क्रं /म.दु.यो./I/621595/2026 नया रायपुर , दिनांक 08-09-2026

प्रति,

समस्त

संभागीय संयुक्त संचालक

शिक्षा संभाग

विषय:-महतारी दुलार योजना पात्र/अपात्र बाबत।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय का पत्र क्रं./आई/ 533589/2026, दिनांक 21.07.2026

2. आई/581894/2026, दिनांक 14.08.2026, 3. आई/607480/2026, दिनांक 31.08.2026

संदर्भित पत्रों के द्वारा पोर्टल पर पात्र/अपात्र की entry व प्रमाण पत्र अपलोड कर दिये गये कुल 20 जिलों के लिये पूर्व सत्र के नवीनीकरण हेतु पोर्टल उपलब्ध करा दिये जाने के संबंध में सूचित कर दिया गया है। अद्यतन स्थिति में तीन जिला दुर्ग, बेमेतरा, राजनागांव द्वारा entry व प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने का कार्य पूर्ण कर लिये जाने के कारण इनके पूर्व सत्र के नवीनीकरण हेतु पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार कुल 23 जिलों हेतु पोर्टल पर लिंक उपलब्ध करा दिया गया है।

योजना आरंभ से प्रकरणों की जांच कर सत्रवार पात्र/अपात्र की सूची आपके login से पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। उपरोक्त समस्त सूचियों को पोर्टल के Public domain में उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचियों का संभाग/जिला/वि.ख. संकुल व समस्त शालाओं/पालकों तक प्रचार-प्रसार के समस्त उपलब्ध साधनों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर जिला स्तर पर 12 सितम्बर के पूर्व दावा आपत्ति प्राप्त कर योजना की अधिसूचनाओं के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निराकरण करेंगे। आवेदकों के असंतुष्ट होने पर वे द्वितीय व अंतिम चरण में संयुक्त संचालक स्तर पर दावा आपत्ति कर सकेंगे जिसका 13 सितम्बर से 25 सितम्बर की अवधि में संभाग स्तर से निराकरण किया जावे। पात्र/अपात्र की सूची में संशोधन की स्थिति में 30 सितम्बर के पूर्व संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग के login से पोर्टल पर अद्यतन कराया जाना अनिवार्य होगा।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

क्रं /म.दु.यो./ I/621595/2026

नया रायपुर , दिनांक 08-09-2026

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शा.स्कूल शि.वि. मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(छ.ग.) की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ ।
3. श्रीमती ललिता वर्मा, वैज्ञानिक सी, एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक

लोक शिक्षण छत्तीसगढ़